

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 181

सोमवार, 17 जुलाई 2017 / 26 आषाढ़ 1939 (शक)

पीएमएवाई हेतु ईपीएफ सदस्यों को राज सहायता

181. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का विचार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सस्ते आवास खरीदने के लिए अपने सदस्यों को ऋण आधारित राजसहायता देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या ईपीएफओ ने इस संबंध में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचयूडीसीओ) के साथ समझौता भी किया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु आकलित वित्तीय निहितार्थ क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): सरकार ने आवासीय मकान या फ्लैट की खरीद अथवा आवासीय मकान के निर्माण हेतु निधि से आहरण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में पैरा 68खघ आरम्भ किया है। सदस्य मकान की खरीद के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए समीकृत मासिक किस्त (ईएमआई) का भी लाभ उठा सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि के पात्र सदस्य प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सस्ते मकान की खरीद के लिए जमा सहबद्ध आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) सहित इसकी नोडल एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) और (ग): जी हां। समझौता जापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- i) हुडको एवं केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जमा सहबद्ध आर्थिक सहायता स्कीम के लाभों तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के आवास संबंधी प्रावधानों के संबंध में भविष्य निधि के सदस्यों को संयुक्त रूप से सूचना प्रसारित करेंगे।
- ii) हुडको आवासीय इकाई/ फ्लैट खरीदने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पात्र सदस्यों को आवास ऋण उपलब्ध कराएगा ।
- iii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भविष्य निधि के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएगा।
- iv) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भविष्य निधि के सदस्य कर्जदारों के सभी संगत विवरण भविष्य निधि के सदस्यों के अनुरोध पर हुडको को उपलब्ध कराएगा।
- v) भविष्य निधि का सदस्य ईएमआई के भुगतानों की राशि का मासिक आहरण करने के लिए आयुक्त को प्राधिकृत कर सकता है।

वित्तीय विवक्षा कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों द्वारा स्कीमों के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए दिए गए आवेदनों पर निर्भर करेगी।

\*\*\*\*\*